अनु० 370 :- जम्मू काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होगा।

↳ खण्ड ख और ग को समाप्त किया गया।

राजा हरिसिंह का समझौता

लोकसभा - 5 Aug - 2019

राज्य सभा 6 Aug - 2019

राष्ट्रपति - 14 Aug - 2019

भारत के समस्त प्रावधान → 31 oct 2019 से जम्मू काश्मीर पर लागू।

अनु० 371 :- राज्यों के विशेषता के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।

असम, आन्ध्र प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आदि।

वक्सर ÷ 1764
प्लासी ÷ 1757

संविधान के विकास

कम्पनी के अधिन

- ↳ 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
- ↳ 1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट
- ↳ 1793 का चार्टर एक्ट
- ↳ 1813 का चार्टर एक्ट
- ↳ 1833 का चार्टर एक्ट
- ↳ 1853 का चार्टर एक्ट

ताज के अधिन

- भारत शासन अधि० 1858
- भारत परिषद अधि० 1861
- भारत परिषद अधि० 1892
- भारत परिषद अधि० 1909
- भारत शासन अधि० 1919
- भारत शासन अधि० 1935
  - ↳ धारा - 100 - भारत-पाक विभा०
- भारत स्वतन्त्रता अधि० 1947

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

→ भारत के लिए प्रथम लिखित कानून।

① - मद्रास और बम्बई को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।

② बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया।

③ बंगाल के अन्तिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जन॰ लार्ड वारेन हेस्टिंग्स बने।

④ गवर्नर जनरल के परिषद मे 4 सदस्यों की नियुक्ति

⑤ सन 1774 मे कलकत्ता मे एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। जिसका मुख्य न्यायाधीश ऐलाजा इम्पे थे।

↳ **1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट :-**

↳ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए **बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल** (नियन्त्रण)
तथा **कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर** (↳ निर्देशन) प्रणाली को लागू किया गया।

↳ भारत मे द्वैध शासन प्रणाली लागू।
↳ जनक → लियोन्स करियस

↳ गवर्नर जनरल के परिषद को 4 सदस्यो से 3 सदस्यो कर दिया गया।

→ 1793 का चार्टर एक्ट :-

↳ बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर स्पष्ट रूप से लागू कर दिया गया।

↳ कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को २० वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।